राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़
जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646
फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांकः–प.1/विजा/स्था0/2018/ 3894 दिनांक 9 /08/2018

:– आदेश :–

श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर को ज्ञापन क्रमाक 3894–95 दिनांक 03. 01.2018 से राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाकर निम्न प्रकार आरोपित किया गया था।

आरोप संख्या 1. – यह कि आप द्वारा खरीफ फसल 2016 संवत 2073 की 7डी में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हुए खराबे में 2 हेक्टेयर से अधिक कुल भूमिधारक 18225 राशि 2483.08 लाख रू. अंकित किये गये थे, जिसके अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग तथा राजस्व विभाग जयपुर को प्रेषित किये गये है। 7डी मे भिजवाई गई सूचना के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बजट प्रदान किया जाता है।

आप द्वारा कुल लाभान्वित कृषक संख्या 7703 राशि 1020.16 लाख रू. की सूचियां उपलब्ध करवायी गई है, जो कि 7डी रिपोर्ट के मुकाबले कृषक सं0 10522 एवं राशि 1462.92 लाख रू. कम है। जिसके कारण वित्तीय अनियमितता हुई है। जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की ही है। इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य मे लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 2. – यह कि आपको उक्त संबंध में कारण बताओं नोटिस क्रमांक सहायता/नोटिस/2017/2678 दिनांक 24.10.17 एवं नोटिस क्रमांक 22 दिनांक 03.01.18 जारी कर उक्त सूचना तत्काल एवं नोटिस का जवाब तीन दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आपके द्वारा न तो वांछित सूचना संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराई गई, न ही इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। जिसके लिए आपको आरोपित किया जाता है।

उक्त आरोपो के क्रम मे श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर ने लिखित जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया :–

1– पूर्व मे प्रेषित 7 डी रिपोर्ट सिचित क्षेत्र को मानते हुए तैयार की गई थी लेकिन बाद मे असिंचित क्षेत्र के अनुसार भुगतान की सूचना प्राप्त होने पर अन्य कृषको की संख्या मे कमी तथा लघु सीमान्त काश्तकारो मे बढोतरी तथा उसी अनुपात मे राशि मे कमी बेशी हुई है ।

2– राजकार्य मे व्यस्तता के कारण समय पर जवाब प्रस्तुत नही हो सका ।

हमारे द्वारा श्री वर्मा के द्वारा प्रस्तुत जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया, श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर के प्रकरण मे सहानूभूतिपूर्वक विचार कर भविष्य मे कार्य विशेष सतर्कता एवं तत्परता से निर्धारित समयावधि मे पूर्ण करने की हिदायत के साथ प्रकरण मे कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

जिला कलक्टर
झालावाड

क्रमाक सम0/18/ 3895–99
दिनांक 9. 08.2018

प्रतिलिपी निम्न को :–

1–उपखण्ड अधिकारी खानपुर
2–तहसीलदार खानपुर
3– श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर
4–व्यक्तिगत पत्रा0
5–रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
झालावाड